प्र/निग०/शहडोल/2018/0851

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा म0प्र0

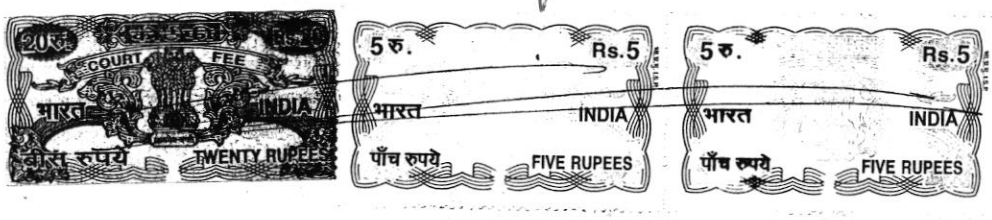

महन्त मोरारी शरण, चेला महन्त गोमती शरण हनुमान अखाड़ा मंदिर न्यू रामनगर जिला सतना म0प्र0 ———————— निगरानीकर्ता

बनाम

1—म0प्र0 शासन

2— शिवनाथ सिंह तनय बसंत सिंह सा0 रीहा

3— राजमणि सिंह तनय शिवनाथ सिंह सा0 रीहा थाना तह0 ब्यौहारी जिला शहडोल म0प्र0 ———————— गैर निगरानीकर्ता

अधि०श्री मनजय पाण्डेय द्वारा पेश/03-2-18

क्लर्क आफ कोर्ट राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी विरूद्ध अपर कमिश्नर महोदय शहडोल संभाग शहडोल द्वारा राजस्व प्र0क0 181/अपील/13—14 मे पारित आदेश दिनांक — 01—11—2017

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं01959

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है :—

1— यह कि अधीनस्थ न्यायालयो के द्वारा पारित आदेश विधि व प्रकिया के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है ।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक दो/निग./शहडोल/भू.रा./2018/851 **जिला** शहडोल महन्त मोरारी विरूद्ध म.प्र.शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27-08-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत 2. दिनांक 09-08-2018 को आवेदक अभिभाषक श्री अजय पाण्डेय को ग्राह्यता पर सुना गया । 3. ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । निगरानी मेमो एवं अधीनस्थ न्यायालय अपर कमिश्नर शहडोल संभाग शहडोल के द्वारा पारित आदेश दिनांक 01-11-2017 का अवलोकन किया गया । 4. अपर कमिश्नर के द्वारा स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि आवेदक द्वारा वसीयत के आधार पर 24 वर्ष पश्चात नामांतरण का आवेदन प्रस्तुत किया है जो कि अत्यधिक विलंबित है । आवेदक द्वारा इतने लम्बे समय पश्चात नामातंरण आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है । आवेदक द्वारा न तो वसीयत के साक्ष्यों के कथन कराये गये है और न ही वसीयत को विधिवत प्रमाणित किया गया है । अपीलार्थी के कथनों में विरोधाभास है, क्योंकि उनके द्वारा प्रति परिक्षण में वसीयम के गवाहों में 5-6 लोगों के हस्ताक्षर होना स्वीकार किया गया है जबकि, वसीयत में गवाह के रूप में कोदूलाल व भोंदूलाल के नाम अंकित है । उनके पिता एवं पता आदि का उल्लेख नहीं है । उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में अपर आयुक्त द्वारा तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि कर अपील निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है 5. अपर कमिश्नर द्वारा निकाले गये उपरोक्त निष्कर्ष विधिसंगत है । जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है । फलस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्ट्या आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । सदस्य 27.8.18	